

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनूं

बैठक कार्यवाही विवरण

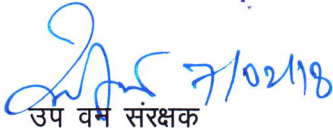
दिनांक 07.02.2018

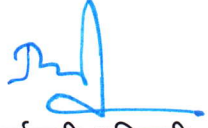
आज दिनांक 07.02.2018 को एन.आर.एस.एस. XXXVI लिमिटेड द्वारा ट्रान्समिशन लाईन बर्बाई से भिवानी 400 के.वी. डी/सी प्रोजेक्ट में तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं की 13.015 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के क्रम में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में श्रीमान् जिला कलेक्टर, झुंझुनूं की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री आर.एन.मीना	उप वन संरक्षक	
2.	श्री जे.पी. बुनकर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.	

चर्चा के दौरान अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 152-153 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट में आ रही वन भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का वनों में निवास व जीविका उपार्जन हेतु काबिज होना नहीं पाया गया है तथा अन्य परम्परागत वन निवासी का कोई भी व्यक्ति कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करने वाला/वनों पर निर्भर रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।

अतः उक्त ट्रान्समिशन लाईन बर्बाई से भिवानी प्रोजेक्ट तहसील खेतड़ी के 13.015 हैक्टर में कोई भी वन अधिकारों का पात्र व्यक्ति नहीं है।


उप वन संरक्षक
एवं सदस्य जिला स्तरीय समिति
झुंझुनूं


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति
झुंझुनूं